उनवान–सुलतान वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा
राजस्व आवेदन संख्या 313/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 313/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सुलतान पुत्र उमर 2. कायम पुत्र उमर कौम मुसलमान निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. तहसीलदार सेड़वा

वकील प्रार्थीगण :– श्री श्रीराम विश्नोई

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09/02/2026

प्रार्थीगण सुलतान पुत्र उमर जाति मुसलमान निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है– "प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़व में खसरा संख्या 1717/1641 रकबा 1–6018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1772/1716 रकबा 0–4856 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1803/1715 रकबा 0–6474 हैक्टैयर के आए हुए है। उक्त वादग्रस्त आराजी मूल खसरा संख्या 336 की भूमि है, जिसमें पक्षकारों में आपसी सहमति से विभाजन हुआ एवं मौके पर सभी खातेदार काबिज है। उक्त भूमि में खातेदारों का आपस में बंटवाड़ा का नक्शा एवं नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को सही किया गया, लेकिन जिस अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई है, उसके क्षेत्रफल के अनुसार रकबा सही नहीं लिखा गया। यानि नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम से राजस्व रेकर्ड में लिखा गया रकबा भिन्न है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड(जमाबंदी) एवं नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम का क्षेत्रफल इस प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

उनवान–सुलतान वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा
राजस्व आवेदन संख्या 313/2025

क्र.स.	खसरा संख्या	वर्तमान राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में रकबा	किस्म	वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं मौके पर की गई तरमीम का क्षेत्रफल	मौजा	खातेदारों का नाम
1.	1717/1641	1.6018 हैक्टेयर (09–18 बीघा)	बा.सो.	2.3626 हैक्टेयर (14–12 बीघा)	सेड़वा	1 सुलतान पुत्र उमर 2 कायम पुत्र उमर
2.	1772/1716	0.4856 हैक्टेयर (03–00 बीघा)	बा.सो.	0.1052 हैक्टेयर (0. 13 बीघा)	सेड़वा	1 सुलतान पुत्र उमर 2 कायम पुत्र उमर
3.	1803/1715	0.6474 हैक्टेयर (4–00 बीघा)	बा.सो.	0.2670 हैक्टेयर (1. 13 बीघा)	सेड़वा	1 सुलतान पुत्र उमर 2 कायम पुत्र उमर

उक्त खसरों का रकबा बंटवाड़ा(विभाजन) करते समय भूल वश गलत लिख दिए गए, जिसे नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम एवं कब्जे–काश्त के अनुसार शुद्ध किया जाना है, जिस हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। वर्तमान में प्रार्थीगण नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार कब्जा अपना कब्जा किया हुआ है। विप्रार्थीगण के खेतों का गलत रकबा लिखा हुआ होने से नाप इत्यादि करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर विप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त नक्शा ट्रेस के अनुसार है एवं उक्त खसरों के रकबे गलत लिखे हुए होने से नक्शा में की गई तरमीम के अनुसार रकबा दुरुस्त किए जावे। वादग्रस्त भूमि मौजा सेड़वा तहसील सेड़वा में अवस्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 1717/1641 का रकबा 1–6018 हैक्टेयर के स्थान पर 2–3626 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1772/1716 का रकबा 0–4856 हैक्टेयर के स्थान पर 0–1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1803/1715 का रकबा 0–6474 हैक्टेयर के स्थान पर 0–2670 हैक्टेयर नक्शा ट्रेस एवं कब्जे अनुसार दुरुस्त करवाने का आदेश फरमाया जावें।''

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/ /331 दिनांक 15.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उनवान–सुलतान वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा
राजस्व आवेदन संख्या 313/2025

पत्रांकः भू.अ./2025/1165 दिनांक 12.12.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन अनुसार "पटवार मण्डल सेड़वा के राजस्व ग्राम सेड़वा के खेत खसरा संख्या 1717/1641 रकबा 1–6018 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 1772/1716 रकबा 0–4856 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 1803/1715 रकबा 0–6474 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी, लट्ठा ट्रेस व मौके से मिलान किया गया। खसरा नंबर 1772/1716 व 1803/1715 का रकबा जमाबंदी में अधिक है, लेकिन तरमीम व मौका अनुसार कम है। खसरा नंबर 1717/1641 का रकबा जमाबंदी में कम एवं मौके व तरमीम अनुसार अधिक है। उक्त खातेदार तीनों खसरों में परस्पर एक ही है। निम्नानुसार रकबा शुद्ध किया जाना उचित है–

क्र. स.	खसरा संख्या	खातेदार का नाम	वर्तमान में जमाबंदी में अंकित रकबा (हैक्टेयर में)	प्रस्तावित जमाबंदी में रकबा (हैक्टेयर में)	भू नक्शा व लट्ठा ट्रेस में परिवर्तन
1.	1717/1641	कायम पुत्र उमर 6010/11813 सुलतान पुत्र उमर 5803/11813 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	1–6018 हैक्टेयर (बारानी सोयम)	2–3626	कोई परिवर्तन नहीं
2.	1772/1716	सुलतान पुत्र उमर कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	0–4856 हैक्टेयर (बारानी सोयम)	0–1052	कोई परिवर्तन नहीं
3.	1803/1715	कायम पुत्र उमर कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	0–6474 हैक्टेयर (बारानी सोयम)	0–2670	कोई परिवर्तन नहीं

उक्त खसरान् के तरमीम में परिवर्तन नहीं हो रहा है केवल जमाबंदी का रकबा नक्शा व मौके अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। मौका फर्द व फर्द मौतबरान तैयार कर पढकर सुनाई गई, सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किए।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उनवान—सुलतान वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा
राजस्व आवेदन संख्या 313/2025

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 313/2025 उनवान सुलतान वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा, पटवार मण्डल सेड़वा के ग्राम सेड़वा के खसरा संख्या 1717/1641 का रकबा 1—6018 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 2—3626 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1772/1716 का रकबा 0—4856 हैक्टेयर के स्थान पर 0—1052 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1803/1715 का रकबा 0—6474 हैक्टेयर के स्थान पर 0—2670 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार प्रस्तावित रकबा दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित अनुसार **राजस्व रिकॉर्ड में रकबा दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/1165 दिनांक 12.12.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.11.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी, अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 17/02/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा जिला –बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 1165 दिनांक– 12-12-2025

प्रेषित :– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा जिला – बाड़मेर

विषय :–राजस्व आवेदन संख्या 313/2025 अनवान सुलतान बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत 131,136 आर.एल.आर. एक्ट में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के आदेश क्रमांक/रीडर/2025/1331 दिनांक 15.10.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक सन्दर्भ में निवेदन हैं कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मे आवेदन संख्या 313/2025 अनवान सुलतान बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत 131,136 आर.एल.आर. एक्ट में राजस्व ग्राम सेड़वा के खसरा संख्या 1717/1641,1772/1716 व 1803/1715 तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी थी जिसकी पालना में पटवार मण्डल सेड़वा के राजस्व ग्राम सेड़वा के मूल खसरा संख्या 1717/1641,1772/1716 व 1803/1715 के मौके पर हल्का पटवार के साथ जाकर मौके अनुसार मौके पर मौका फर्द तैयार की गई एवं राजस्व रिकार्ड वर्तमान लट्ठाट्रेस अनुसार जमाबंदी में रकबा भिन्ना दर्ज हो गया जो संलग्न फर्द में सारणी अनुसार तैयार की गई जो साथ सलंग्न कर मौके पर रूबरू मौतबिरान रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान जी को प्रषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

मौका - फर्द

तरमीम कीजिये

आज दिनाँक 07.11.2025 को कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक /भू०अ०/ 1652 दिनाँक 16.10.2025 व माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के आदेश क्रमांक रीडर/2025/1331 दिनाँक 15.10.2025 की पालना में हमराह हल्का पटवारी सेड़वा प०म० सेड़वा के राजस्व ग्राम सेड़वा के खेत ख.नं. 1717/1641 रकबा 1.6018 हेक्टेयर किस्म बा० सोयम ख.नं. 1772/1716 रकबा 0.4856 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम व ख.नं. 1803/1715 रकबा 0.6474 हेक्टेयर किस्म बा० सोयम का मौका देखा गया। माननीय न्यायालय द्वारा RLR Act. की धारा 131,136 के तहत तरमीम अनुसार रकबा शुद्ध करने की रिपोर्ट चाही गई है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, लट्ठा हेस्त व मौके से मिलान किया गया। ख.नं. 1772/1716 व 1803/1715 का रकबा जमाबंदी में अधिक है लेकिन तरमीम व मौका अनुसार कम है। एवं ख.नं. 1717/1641 का रकबा जमाबंदी में कम एवं मौका व तरमीम अनुसार अधिक है। उक्त खातेदार तीनों खसरों में परस्पर एक ही है। निम्न अनुसार रकबा शुद्ध किया जाना उचित है:-

क्र.सं.	ख.सं.	खातेदार का नाम	वर्तमान में जमाबंदी में अंकित रकबा (है० में)	प्रस्तावित जमाबंदी में रकबा (है० में)	भू. नक्शा व लट्ठा हेस्त में परिवर्तन
1.	1717/1641	कायम पुत्र उमर 6010/11813 सुलतान पुत्र उमर 5803/11813 कौम मुसलमान सा० देह खातेदार	1.6018 है०	2.3626 है०	कोई परिवर्तन नहीं
2.	1772/1716	सुलतान पुत्र उमर कौम मुसलमान सा० देह खातेदार।	0.4856 है०	0.1052 है०	कोई परिवर्तन नहीं
3.	1803/1715	कायम पुत्र उमर कौम मुसलमान सा० देह खातेदार	0.6474 है०	0.2670 है०	कोई परिवर्तन नहीं
		योग	2.7348 है०	2.7348 है०	

उक्त खसरान के तरमीम में परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल जमाबंदी का रकबा नक्शा व मौके अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

मौका फर्द रूबरू मोतबरान तैयार कर पढ़कर सुनायी गई सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर [illegible] किये।

भू-अभिलेख निरीक्षक (भू.अ.) सेड़वा

कायम

[illegible] (भू.अ.) सेड़वा तहसील-सेड़वा

सुलतान

पदूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested

BhuNaksha

Plot No..

Online Users: 11 Online Visitors: 793

☰ Home

Location

State: Rajasthan

District : 08 बाड़मेर

Tehsil : 278 सेड़वा

RI : 2907 सेड़वा

Halkas : 11609 सेड़वा

Village :

50097 सेड़वा (चाल)

Sheet No : 001 डिजिटाइज्ड

Plot Info

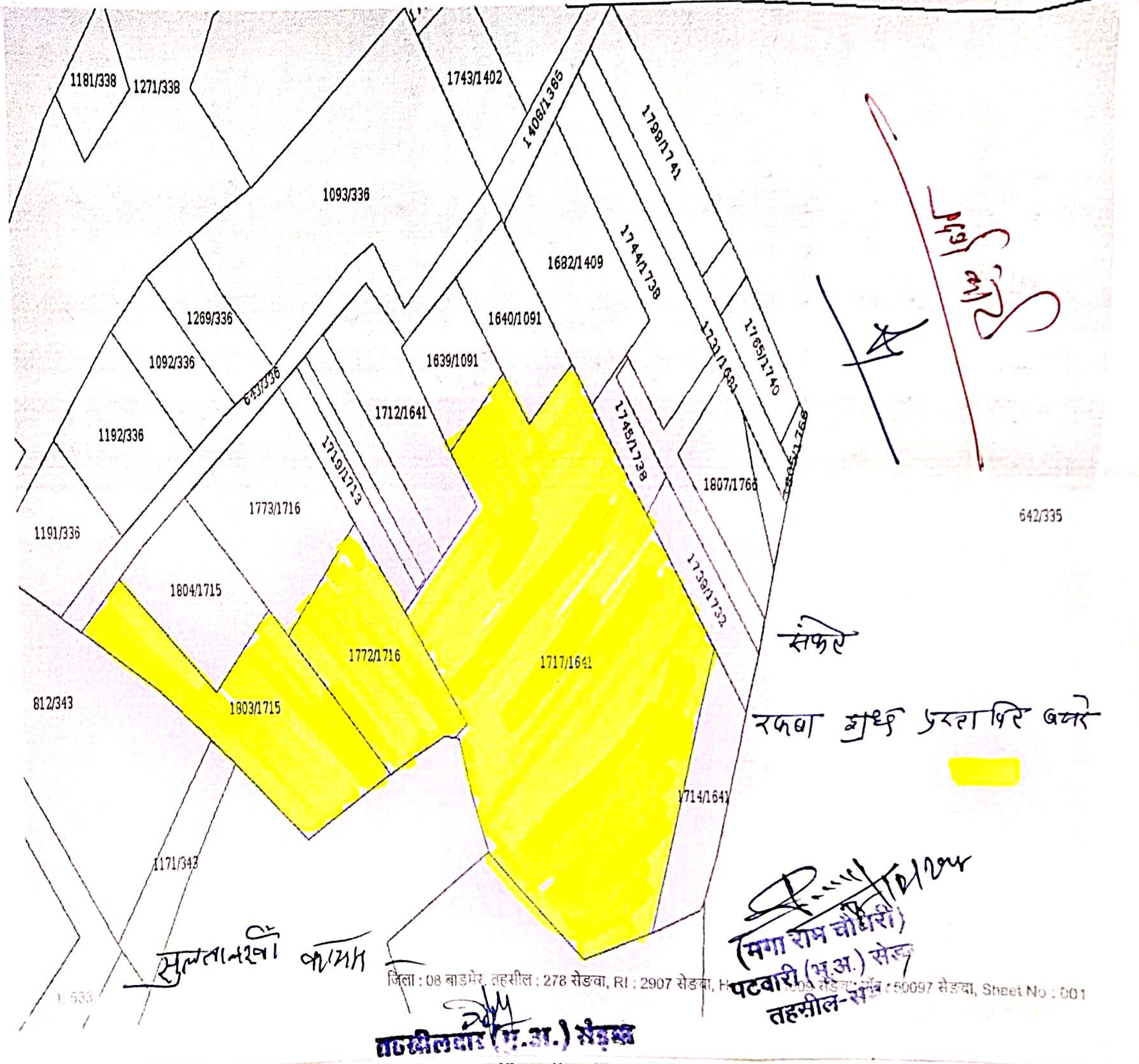

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:37 IST
Reason: SelfAttested